



## Compliance of Report 2A/2B

Ref No. 9HRB147/2023-CHA

**Project Name - Diversion of 0.0237 ha of Forest Land for access to Retail outlet of IOCL on Khasra No. 117//2/2, 3, 4 at village Nandha on Badhra - Satnali Road (MDR - 125) Tehsil Badhra, under Forest Division & District- Charkhi Dadri, Haryana.**

**(Online Proposal No. FP/HR/Approach/142616/2021)**


यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं प्रबंधक **IOCL** ने डायवर्जन के लिए आवेदन किया है जो कि **Village- village Nandha on Badhra - Satnali Road (MDR - 125) Tehsil Badhra, under Forest Division & District- Charkhi Dadri, Haryana.** में स्थित है ।

मैं वचन देता हूँ कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा।

यह राशि सी0ए0, ए0सी0ए0, एन0पी0वी0 के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया में जमा करवा दी गई है जिसका UTR No. PUNBRS2023112211423808 है।

1. प्रयोक्ता एजेंसी से सी0ए0 स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ती पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गई है।
2. प्रयोक्ता एजेंसी से अतिरिक्त सी0ए0 स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ती पौधारोपण की राशि जमा करवा दी गई है।
3. WP (CA) NO. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2022, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-GV (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 0.0237 हेक्टेयर की नैट प्रजैट वैल्यु जमा करवाई जा चुकी है।
4. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा करवाई जा चुकी है।
5. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में अपलोड की जा चुकी है।

6. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सी0ए0 लागत, एन0पी0वी0, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जा चुके हैं और केवल उपर्याक्त बैंक में जमा किए जा चुके हैं।
7. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालना सम्बन्धित/जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र साथ संलग्न है।
8. वन भूमि की विधिक परिस्थित बदली नहीं जाएगी।
9. प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 2 तथा पौधों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी और वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
10. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
11. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा करवाई जाएगी।
12. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।
13. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुंच मार्ग (Entry/Exit or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जाएगा।
17. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते वन और वन भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।
18. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
19. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
20. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार करवाई जाएगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जाएगी।

  
 Bhupesh Kumar  
 Manager (RS)

Hisar Divisional Office  
 भूपेश कुमार/भूपेश कुमार लि.  
 प्रबन्धक (रिटेल सल्ल्स)/Manager (RS)  
 हिंसार मण्डल कार्यालय/Hisar Divisional Office  
 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०  
 Indian Oil Corporation Ltd.  
 हिंसार-125005/Hisar-125005

**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT, 2006**

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE / PROJECT : Diversion of 0.0237 ha of Forest Land for access to Retail outlet of IOCL on Khasra No. 117//2/2, 3, 4 at village Nandha on Badhra - Satnali Road (MDR - 125) Tehsil Badhra, under Forest Division & District- Charkhi Dadri, Haryana.

As per report received from DFO, Charkhi Dadri.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years period of the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled tribes, as per the census – 2001 and the census – 2011.

  
Signature Forest Officer  
(Divisional Forest Officer, Charkhi Dadri)  
CH DADRI

  
Signature  
(Full name and office seal of the District Collector, Charkhi Dadri)  


AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-11-2023

Agency Name.	INDIAN OIL CORPORATION LTD
Application No.	70142616420
MoEF/SG File No.	9-HRB147-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	HISAR DIVISIONAL OFFICE,SCO-40/41,SECTOR 13 P TOSHAM ROAD,HISARHisar
Amount(in Rs)	227072/-

Amount in Words : Two Lakh Twenty-Seven Thousand and Seventy-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970142616420 <b>Valid only for this challan amount.</b>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:**After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy o id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No - UINBR52023112241423808

